तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम क्रम हुक्म की ... में जारी
07/08/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रति० अभि० उपस्थित। श्री प्रार्थनापत्र 022R9 व धा० 151 CPC पर बहस सुनी गई। अभि० प्रति० ने दौराने बहस कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी को फौत हुए 03 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा अभि० वादी को इसकी जानकारी होने के बावजूद आज दिन तक वादी फौत के वारिसान को रेकर्ड पर लेने बाबत कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए वादी का वाद खारिज अबेटमेंट खारिज फरमावे। अभि० वादी ला० मु० का प्रा० पत्र पेश करने हेतु समय चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभि० उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रा० के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को फौत हुए 03 से अधिक समय उपरान्त अभि० प्रति० द्वारा प्रार्थनापत्र 022R9 CPC पेश किया गया। परन्तु उक्त प्रार्थनापत्र के उपरान्त भी अभि० वादी द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो ला० मु० का प्रार्थनापत्र पेश किया तथा न ही 022R9 CPC का जवाब प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट है वादी का वाद एबेट हो चुका है। अतः वाद वादी खारिज अबेटमेंट खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दाखिल दफ्तर अभिलेखागार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)	